रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 8, 1935
No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 8, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जनवरी, 2014

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक-स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/1/84/2014.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक-स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. टीपीए के लाइसेंसीकरण के लिए शर्तें और क्रियाविधि

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्य पक्ष प्रबंधक-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2001 में, विनियम 11(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

"टीपीए को प्रदत्त लाइसेंस का नवीकरण फार्म टीपीए-3 में नवीकरण के लिए निर्धारित आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले रु. 15,000 (केवल पंद्रह हजार रुपये) के नवीकरण शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किया जा सकता है।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/13/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd January, 2014

Insurance Regulatory and Development Authority (Third Party Administrators-Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./1/84/2014.—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Third Party Administrators - Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Conditions and Procedure for licensing of TPA

In the Insurance Regulatory and Development Authority (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2001, Reg. 11 (1) is substituted by the following:

"A license granted to a TPA may be renewed for a further period of three years on submission of the prescribed renewal application in Form TPA-3 along with a renewal fee of Rs. 15,000 (Rupees Fifteen Thousand only), at least thirty days prior to the date of expiry of the license."

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

402 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.